

वित्त :: विभाग

पत्र सं०-सू.म 4-42/99-वि(2)

पटना, दिनांक 20/11/99

प्रत्यूष सिन्हा,
वित्त आयुक्त,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

महाशेखाकार, पटना ।

विषय :- सरकारी गाड़ियों के सामान्य जीवन, अनुरक्षण, बदलाव, बजट लेखा और जांचका प्रक्रिया आदि को विहित करने के लिए नियमावली ।

महाशय,

निदेशानुसार यह कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में राज्य कर्मियों के संचालन के लिए गाड़ियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । ऐसा भी पाया गया है कि विभिन्न योजनाओं के तहत नयी गाड़ियों का क्रय होता है परन्तु पुरानी गाड़ियों के रद्दीकरण (Condemnation) तथा नीलागो की प्रक्रिया अभाव में नहीं होती । इससे सरकार को गाड़ियों की नतीतानी रकम अपेक्षित राशि प्राप्त नहीं होती और आर्थिक क्षति होती है, दूसरी ओर जहाँ-तहाँ खराब गाड़ियों के पड़े रहने से सरकार को छवि भी घूमिल होती है । तमीक्षा के दौरान पाया गया है कि इसका मुख्य कारण पराधिकारियों की उदासीनता और प्रक्रिया की जटिलता है ।

2. इस उद्देश्य से ज्ञाप सं०-डी०पी०-10-08/86/7721/वि० दिनांक 24.12.88 तथा 7722/वि० दिनांक 24.12.88, जिसके द्वारा इस संबंध में विहित मूल नियमावली ज्ञापक 11768 दिनांक 06.11.52 को विलोपित कर संशोधित किया गया था, को विलोपित करते हुए निम्नांकित नियमावली बनाई जाती है :-

1. गाड़ियों का सेवाकाल/चालन क्षमता

गाड़ी का प्रकार	सेवाकाल (वर्ष में)	चालन क्षमता (कि० मी०)
(i) भारी गाड़ी (ट्रक, बसें आदि)	12	1,50,000
(ii) मध्यम तथः हल्की गाड़ी (मिनी बस, मिनी ट्रक, स्टेशन बैगन, पिक अप वान, जीप आदि)	8	1,50,000
→ (iii) स्ट्रक कार	10	2,00,000
(iv) मोटर साइकिल/टेम्पो वान	3	1,00,000
(vi) ट्रेलर्स	3	1,00,000

3. उपर्युक्त कंडिका में अंकित माइलेज या निर्धारित सेवाकाल पूर्ण होने के बाद गाड़ी को निष्प्रयोजित घोषित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

4. उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने के पूर्व भी गाड़ी के रद्दीकरण और नीलामी की कार्यवाही की जा सकती है यदि:

(i) वाहन के बड़े दुर्घटना से प्रभावित होने की स्थिति में, मरम्मत पर बहुत अधिक व्यय आवश्यक हो या/और

(ii) वाहन की मरम्मत पर उसके वर्तमान मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जा चुका है,

परन्तु इसके लिए कंडिका-9 में वर्णित समिति के साथ-साथ नियंत्री पदाधिकारी का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा। नियंत्री पदाधिकारी स्वीकृति देने के पूर्व दुर्घटना/मरम्मत पर अधिक व्यय के कारणों की समुचित छान-बीन करेगा और इसके लिए चालक/अन्य व्यक्तियों की जवाबदेही, यदि कोई हो, के बारे में संतुष्ट हो लेगा और इस संबंध में लिखित आदेश पारित करेगा।

5. जो गाड़ी उपयोग के लायक नहीं रह जाए या, जो गाड़ी बार-बार खराब हो रही हो और जिसकी मरम्मत पर बहुत अधिक व्यय हो रहा हो, उसे समय पर निष्प्रयोजित घोषित करा कर नीलामी कराने की व्यक्तिगत जवाबदेही गाड़ी के प्रदायी पदाधिकारी की होगी। उसका दायित्व होगा कि बेसी स्थिति में गाड़ी की जीव मोटर यान निरीक्षक/यांत्रिक अभियंता से आवश्यक विहित प्रपत्र में गाड़ी के रद्दीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से गठित समिति के अध्यक्ष को यथा शीघ्र भेजे। पुरानी गाड़ी की समय पर नीलामी नहीं होने के चलते उसके बिक्री मूल्य में होने वाली कमी की भरपाई उरसे की जा सकेगी। गाड़ी को निष्प्रयोजित घोषित करनेवाली समिति इस बिन्दु पर भी अपना निष्कर्ष गाड़ी से संबंधित पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को देगी (जिम्मेवारी निर्धारित करने की यह कार्यवाही इस परिपत्र के निर्गत होने के बाद लागू होने वाली गाड़ियों पर ही की जाएगी)।

6. निर्धारित द्वारा निष्प्रयोजित घोषित गाड़ी के बचले तथा वाहन कय हेतु विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन कर निर्धारित में जाएगी और आवश्यकतानुसार बजट/पूरक बजट में उपबंध कराया जाएगा।

7. निष्प्रयोजित घोषित वाहन की मरम्मत पर कोई राशि व्यय नहीं की जाएगी और संबंधित पदाधिकारी से इस प्रकार व्यय की गई राशि नसूलनीय होगी।

8. परन्तु यदि निष्प्रयोजित घोषित वाहन के अतिरिक्त कोई वाहन उपलब्ध नहीं है तो नियंत्री पदाधिकारी की पूर्वानुमति से उसके रख-रखाव या मरम्मत पर व्यय किया जा सकेगा। परन्तु उसकी वार्षिक सीमा नए वाहन के मूल्य की दस प्रतिशत होगी।

9. किसी भी स्थिति में, निष्प्रयोजित घोषित वाहन के स्थान पर नई गाड़ी का कय हो जाने पर पुरानी गाड़ी के मरम्मत/इंजन पर कोई व्यय अनुमान्य नहीं होगा। व्यय की गई पूरी राशि संबंधित पदाधिकारी/व्यय की स्वीकृति देने वाले नियंत्री पदाधिकारी से वसूलनीय होगी।

9. निष्प्रयोजित घोषित वाहन की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य गाड़ी की वार्षिक स्थिति पर निर्भर करेगा, परन्तु मोटर वाहन निरीक्षक/कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) द्वारा सरकारी उपयोग के लिए निष्प्रयोजित घोषित वाहन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय वाहन के क्षय मूल्य (Depreciation) और बालबेष मूल्य (Salvage Value) दोनों का ध्यान में रखा जाएगा ।

10. निष्प्रयोजित वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि को एक सप्ताह के अंदर कोषागार में जमा करने की व्यक्तिगत जवाबदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी जिसके स्तर से नीलामी की गई है ।

11. वाहनों के रद्दीकरण एवं ब्यत्ताव के बिन्दु पर परामर्श देने के लिए निम्न प्रकार से पदाधिकारियों की एक समिति होगी :-

(क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों (पुलिस एवं कार्य विभागों के संलग्न कार्यालय छोड़कर) की गाड़ियों के लिए

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1) | विभागीय सचिव/अपर आयुक्त | - | अध्यक्ष |
| 2) | वित्त विभाग के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 3) | परिवहन सचिव द्वारा मनोनीत परिवहन संवर्ग के तकनीकी पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) | - | सदस्य |

(ख) प्रमंडलीय कार्यालयों एवं जिला सभाहणालय की गाड़ियों के लिए

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1) | प्रमंडलीय आयुक्त | - | अध्यक्ष |
| 2) | गाड़ी से संबंधित विभाग के प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 3) | प्रमंडलीय मुख्यालय के जिले के जिला लेखा पदाधिकारी | - | विशेष आमंत्रित |
| 4) | मोटर गाड़ी निरीक्षक/कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) | - | विशेष आमंत्रित |
| 5) | प्रश्नगत गाड़ी के प्रभारी पदाधिकारी | - | विशेष आमंत्रित |

(ग) जिला स्तरीय समिति (समाहणालय, कार्य विभाग एवं पुलिस गाड़ियों को छोड़कर सभी विभाग के वाहनों के लिए)

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1) | जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त | - | अध्यक्ष |
| 2) | गाड़ी से संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 3) | जिला लेखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 4) | मोटर वाहन निरीक्षक/ कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) | - | विशेष आमंत्रित |
| 5) | प्रश्नगत गाड़ी का प्रभारी पदाधिकारी | - | विशेष आमंत्रित |

(घ) पुलिस गाड़ियों के लिए

1. जिलों की सभी गाड़ियों के लिए :-
 - i) आरक्षी उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष
 - ii) संबंधित आरक्षी अधीक्षक - सदस्य
 - iii) स्थानीय जिला लेखा पदाधिकारी - सदस्य
 - iv) मोटर वाहन निरीक्षक/कार्यपालक अभियंता(यांत्रिक) - सदस्य
 - vi) प्रश्नगत गाड़ी का प्रभारी पदाधिकारी - विशेष आमंत्रित

2. (क्षेत्रीय) महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक कार्यालय की गाड़ियों के लिए

- i) प्रदेशीय आरक्षी महानिरीक्षक - अध्यक्ष
- ii) संबंधित महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक - सदस्य
- iii) स्थानीय जिला लेखा पदाधिकारी - सदस्य
- iv) मोटर वाहन निरीक्षक/कार्यपालक अभियंता(यांत्रिक) - सदस्य
- vi) प्रश्नगत गाड़ी का प्रभारी पदाधिकारी - विशेष आमंत्रित

3. आरक्षी मुख्यालय सहित अन्य पटना स्थित कार्यालयों की गाड़ियों के लिए (उपर्युक्त नोटिफिकेशन 1 एवं 2 को छोड़कर)

- i) आरक्षी महानिरीक्षक, प्रोभोगनरा - अध्यक्ष
- ii) आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक(क्यू या प्रशासन) - सदस्य
- iii) विल विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
- iv) परिवहन विभाग द्वारा मनोनात - सदस्य
(परिवहन संवर्ग का तकनीकी पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक))
- v) प्रश्नगत गाड़ी का प्रभारी पदाधिकारी - विशेष आमंत्रित

(ड.) कार्य विभागों की गाड़ियों के लिए

1. संचालित तथा अधीनस्थ प्रमंडलों की गाड़ियों के लिए

- i) क्षेत्रीय मुख्य अभियंता - अध्यक्ष
- ii) संबंधित अधीक्षण अभियंता - सदस्य
- iii) संबंधित कार्यपालक अभियंता - सदस्य
- iv) कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) - सदस्य
(किसी अन्य विभाग के)
- v) स्थानीय जिला लेखा पदाधिकारी - सदस्य

2. अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता कार्यालय की गाड़ियों के लिए

विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ।

12. परिस्थिति विशेष में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को छोड़कर, किसी समिति के कार्यरत न रहने पर किसी कार्यालय की गाड़ी के रद्दीकरण एवं नीलामी पर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में विचार किया जा सकता है। उसी प्रकार विभाग स्तर की समिति क्षेत्रीय कार्यालयों की गाड़ियों के रद्दीकरण/नीलामी पर विचार कर सकती है।

13. उपरोक्त बंटिकाओं के प्रावधानों में विरती भी प्रचार के सिचिलीकरण के लिए वित्त विभाग को पूर्व सहमति अनिवार्य होगी।

[Signature]
(प्रमूख सिन्हा)
वित्त आयुक्त

सा.सं. १०२४-१११-१११
[Signature]
वि०(२)

पटना, दिनांक २७/७/१९९९

प्रतिलिपि - सभी विभागीय सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अपने स्तर से इसकी प्रतिलिपि प्रेषित करने की कार्यवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

[Signature]
27.7.99
(आर० के० सिंह)
उप सचिव, वित्त विभाग।

संश्लेषण - अधीनस्थ सचिवालय मुख्यालय को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित हेतु प्रेषित।

[Signature]
27.7.99
(आर० के० सिंह)
उप सचिव, वित्त विभाग।

[Signature]